295

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), मुरादाबाद।

उपस्थितः-अमित कुमार पाण्डे, पी.सी.एस.(जे.)

मूल वाद संख्या-34/2016

श्रीमती खदीजा हसन आयु लगभग 36 वर्ष पत्नी श्री वसीम अहमद खान (प्रतिवादी) निवासिनीः-25 गोल कोठी, डिप्टी गंज, मुरादाबाद।

.....वादिनी।

बनाम

श्री वसीम अहमद खान आयु लगभग 58 वर्ष पुत्र हाजी तसलीम अहमद खान निवासीः-118-119, लाजपत नगर, मुरादाबाद।

......प्रतिवादी।

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति वर्णित परिशिष्ट ''क'' की स्वामिनी, घोषित किये जाने वास्ते योजित किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी परिशिष्ट ''क'' में वर्णित भूमि खसरा संख्या- 61 तथा 62, जिसका नया नम्बर-74 है। खसरा संख्या-58, 59, 60, 64 तथा 65, जिसका नया नम्बर-72 है। खसरा संख्या-57 जिसका नया नम्बर-71 है। कुल रकबा 3.58 एकड़ एवं भूमि खसरा संख्या-73 रकबा 0.648 हे. के 1/2 भाग का जरिए चार किता बैनामा मालिक, काबिज है। प्रतिवादी वादिनी का पति है। प्रतिवादी ने वर्ष 2007 में वादिनी से दूसरा विवाह किया था, जिससे वादिनी को एक पुत्र एवं पुत्री हुए। प्रतिवादी ने दिनांक-21.12.2013 को वादिनी की पुत्री बेबी वानिया खान के जन्म दिन के अवसर पर प्रश्नगत भूमियों का मौखिक हिबा वादिनी के पक्ष में कर दिया था, जिसे वादिनी ने कबूल व मन्जूर कर लिया था और उसी समय प्रतिवादी ने विवादित भूमि का वास्तविक कब्जा वादिनी को दे दिया था। इस प्रकार विवादित भूमि की स्वामिनी वादिनी हो गयी है। उक्त मौखिक हिबा के सम्बन्ध में तहरीर बतौर याद्दाश्त हिबा जुबानी वादिनी के पक्ष में निष्पादित करके वादिनी को दे दिया था। प्रश्नगत भूमियां

Scanned with CamScanner

काफी वर्षों पूर्व अकृषक भूमियां घोषित की जा चुकी हैं। कुछ समय पूर्व प्रतिवादी ने वादिनी को धमकी दिया कि वह मौखिक हिबा को अस्वीकार कर देगा, जिससे यह आभास हुआ कि प्रतिवादी की मनोवृत्ति दूषित हो गयी है और वह वादिनी के पक्ष में हुए हिबा दिनांकित-21.12.2013 को अस्वीकार कर रहे हैं। अतः वाद योजित करने की आवश्यकता हुई।

प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र 13 क दाखिल करते हुए वादिनी के पक्ष में किये गये हिबा को स्वीकार किया गया है तथा दावा वादिनी दुर्भावनापूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना किया गया है।

उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक-02.02.2016 को न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु विरचित किये गये। वादिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जरिए सूची 6 ग असल याद्दाश्त हिबा जुबानी दिनांकित-21.12.2013 दाखिल किया गया। इसके अतिरिक्त जरिए सूची 20 ग छायाप्रति आदेश उप जिलाधिकारी, मुरादाबाद दिनांकित-21.12.2007 जिसके द्वारा भूमि खसरा संख्या-71, 72 तथा 74 को अकृषक भूमि घोषित किया गया, फोटो प्रति आदेश तहसीलदार, मुरादाबाद, जिसके द्वारा भूमि खसरा संख्या-73 पर आवासीय भूमि के आधार पर स्टेम्प लिया गया, दाखिल किया गया है। जरिए सूची 23 ग सत्य प्रतिलिपि बैनामा दाखिल किया गया है। मौखिक साक्ष्य पी.डब्लू. 1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

प्रतिवादी की ओर से न तो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त उभय पक्षकारों के मध्य सुलह हो गयी और उभय पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष सुलहनामा कागज संख्या- 18 क दाखिल किया और सुलहनामा के आधार पर वाद आज्ञप्त किये जाने की याचना किया गया।

Scanned with CamScanner

सुलहनामा न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उभय पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष सुलहनामा कागज संख्या- 18 क पर अपने हस्ताक्षर किये, जिन्हें वादिनी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र सोती तथा प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक बजाज द्वारा सत्यापित किया गया। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष सुलहनामा तस्दीक किया गया।

मैंने उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद में वादिनी का कथन है कि प्रतिवादी प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वामी बजरिए बैनामा है तथा प्रश्नगत सम्पत्तियां अकृषक भूमि घोषित हो चुकी है। वादिनी द्वारा दाखिल दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत सम्पत्तियां अकृषक भूमि घोषित किया जा चुका है तथा प्रतिवादी जरिए बैनामा प्रश्नगत सम्पत्ति पर मालिक, स्वामी रहा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक-21.12.2013 को उसके पक्ष में प्रश्नगत भूमि का हिबा जुबानी कर दिया था, जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। दौरान वाद उभय पक्षकारों के मध्य सुलह हो गयी और सुलहनामा कागज संख्या- 18 क न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया गया है। पक्षकारों के मध्य सुलह हो जाने के कारण अब इस वाद में कोई विवाद शेष नहीं बचा है। अतः तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि सुलहनामा कागज संख्या- 18 क के प्रकाश में दावा वादिनी निर्णीत एवं आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूल वाद संख्या-34/2016 सुलहनामा कागज संख्या- 18 क/1 लगायत 18 क/2 के प्रकाश में निर्णीत एवं आज्ञप्त किया जाता है।

सुलहनामा कागज संख्या- 18 क/1 लगायत 18 क/2 आज्ञप्ति का अंश रहेगा।

Scanned with CamScanner

मामले के तथ्य एवं परिथितियों के दृष्टिगत उभय पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

Amit 13/04/16
(अमित कुमार पाण्डे),
सिविल जज (सी०डि०),
मुरादाबाद।

दिनांकः- 13.04.2016

उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

Amit 13/4/16
(अमित कुमार पाण्डे),
सिविल जज (सी०डि०),
मुरादाबाद।

दिनांकः- 13.04.2016

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद
05-11-16

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

35
05/11/18

दिनेश चन्द्र सोती
एडवोकेट
रजि.नं०-652/1973
D.J. कोड D-78, चैम्बर नं०-61
कचहरी, मुरादाबाद
Mob.-9219671354

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मुरादाबाद

मुकदमा सं:- 31/18

वहीद हसन

बनाम

वसीम अहमद आदि

नकल हिबानामा

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय मुरादाबाद सत्यमेव जयते

§ यादाश्त हिबा जुबानी §

मैं कि वसीम अहमद खान पुत्र हाजी तसलीम अहमद खान निवासी एच॰न॰ 118-117 लाजपत नगर, मुरादाबाद का हूँ, जो कि आराजी खसरा नं॰ 61 व 62 जिसका नया नम्बर 74 है, व खसरा न॰58,59,60,64 व 65 जिसका नया नम्बर 72 है, व खसरा न॰57 जिसका नया नम्बर 71 है, कुल रकबई 3·58 हे॰, व खसरा न॰ 73 रकबई 0·648 हे॰ के 1/2 भाग के जो ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद में स्थित है मैं बजरिये चार किता बयनामेजात पहला इकरारी उबैदुल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद, नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 6-1-95 जिसकी रजिस्ट्री पुस्तक सं॰1 के खण्ड 998 के पृष्ठ 113/130 पर क्रम सं॰5028 पर दिनांक 29-7-95 को हुई है, तथा दूसरा बयनामा इकरारी उबैद उल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद व नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 6-1-95 जिसकी रजिस्टरी पुस्तक सं॰1 के जिल्द 1057 के पृष्ठ 71 ता 88 पर क्रम सं॰6238 पर दिनांक 23-9-95 को हुई है, तथा तृतीय बयनामा इकरारी उबैद उल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद व नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 9-1-95 जिसकी रजिस्टरी बही नं॰1 के खण्ड 998 के पृष्ठ 87/112 पर क्रम सं॰5027 पर दिनांक 29-7-95 को हुई है तथा चतुर्थ बयनामा इकरारी कैप्टन अमिताभ प्रकाश पुत्र ओम प्रकाश व श्रीमती सरोज पत्नी ओमप्रकाश व श्री आलोक कुमार पुत्र राज कुमार दिनांक 2-9-13 से रजिस्टरी बही न॰1 के जिल्द 8542 के पृष्ठ 263/298 पर क्रमांक 8131 पर दिनांक 2-9-13 को हुई है तथा जो अकृषकीय भूमि है से मालिक काबिज व दखील चला आता था जो कि मेरी दो पत्नियाँ श्रीमती शगुफ्ता व श्रीमती खदीजा हसन है तथा पहली पत्नी से तीन पुत्रियाँ फरहा खान, सदफ खान व वरीशा खान तथा एक पुत्र समीर अहमद खान है तथा बड़ी पुत्री फरहा खान का निकाह हो चुका है तथा मझली पुत्री सदफ खान का भी निकाह होने वाला है, तथा दूसरी पत्नी से दो सन्तानें शान अहमद खान उम्र 9 साल व एक पुत्री वानिया खान उम्र 3 साल है, जो कि मैं अपनी पहली पत्नी श्रीमती शगुफ्ता से उत्पन्न पुत्रियों व पुत्र के भविष्य हेतु उचित प्रबन्ध कर चुका हूँ तथा मेरी पहली पत्नी तथा सन्तानों व दूसरी पत्नी तथा संतानों में भी अत्यन्त मोहब्बत है। अब तक दूसरी पत्नी श्रीमती खदीजा व उनकी संतानों हेतु कोई प्रबन्ध किसी प्रकार का मैंने नही किया है जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। श्रीमती खदीजा की मोहब्बत व सेवा करने से मैं

=2=

बहुत प्रसन्न था तथा हूँ, और चाहता था कि उनके नाम कोई सम्पत्ति कर दूँ। लिहाजा दिनांक 21-12-2013 को मैंने अपनी पुत्री वानिया की साल-गिरह के दिन उपरोक्त सम्पत्तियों का हिबा जुबानी अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती खादीजा हसन को कर दिया था जिसको श्रीमती खादीजा हसन द्वारा उसी समय कबूल व मन्जूर कर लिया गया था, तथा कब्जा भी मैंने अपनी उक्त सम्पत्ति का उसी दिन श्रीमती खादीजा हसन को दे दिया था लिहाजा दिनांक 21-12-13 से मेरी दूसरी पत्नी श्रीमती खादीजा हसन ही उपरोक्त सम्पत्तियों जिसका विवरण इस याददाश्त के शुरू में तहरीर है, की तन्हा मालिक काबिज व दखील है, तथा किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध उक्त सम्पत्तियों से नहीं है, तथा श्रीमती खादीजा हसनको उक्त भूमियों को हस्तान्तरित करने आदि के भी समस्त अधिकार प्राप्त हैं और रहेंगे।

लिहाजा यह तहरीर बतौर याददाश्त हिबा दिनांक - 21-12-2013 लिख दी कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। फकत।

अलब्द

गवाह

Mohd. Mohseen
S/o H. Mursaleen
R/o Peelkhana,
Moradabad.

गवाह

Attaf Hasan
S/O Abdul Hassan
Dewalan Street
Moradabad.

यह तहरीर याददाश्त हिबा बइकरार मुकिर आज बतारीख 31-12-2013 को बामुकाम मुरादाबाद बामशवरा श्री सैयद मोहम्मद नकवी एडवोकेट के राकेश भटनागर ने टाइप किया।

31/12/2013

Photostat
C/12-D.S
UA. 30

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद
05-1-16

२५
०८/११/१८

दिनेश चन्द्र सोती
एडवोकेट
रजि.नं०-652/1973
D.J. कोड D-78, चैम्बर नं०-61
कचहरी, मुरादाबाद
Mob.-9210671354

न्यायालय सिविल जज सी०डि० नम्बर [illegible] जिला मुरादाबाद
मूलवाद सं० 35/16
श्रीमति [illegible] बनाम
[illegible]

केन्द्रीय प्रतिलिपि [illegible] जनपद न्यायालय, मुरादाबाद सत्यमेव जयते

[illegible] डिस्ट्रीक्ट [illegible]

P. C. J. No -17-20

30क

मूल वाद में आज्ञप्ति

CIVIL JUDGE
(S. D) Moradabad

(आदेश 20 नियम 3-7)

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) स्थान मुरादाबाद जिला मुरादाबाद

मूल संख्या 34 /2016 सन् 2016ई०

संस्थित दिनांक 13-01-2016 मास

श्रीमती खदीजा हसन आयु लगभग 36 वर्ष पत्नि श्री वसीम अहमद खान (प्रतिवादी) निवासनी 25, गोल कोठी, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद। वादी

(वादनी)

बनाम

श्री वसीम अहमद खान आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र हाजी तस्लीम अहमद खान निवासी 118-119, लाजपतनगर मुरादाबाद। "प्रतिवादी"

न्यायालय का नाम सिविल जज (सी०डि०) मुरादाबाद
वाद संख्या 34/2016
पक्षकारों के नाम श्रीमती खदीजा हसन v. वसीम अहमद

न्यायालय

से दाखिल किया है।

टिप्पणी--जो पते ऊपर लिखे गये हैं, ... जो उपस्थित नहीं हुए तामील के प्रयोजन यह पक्षकारों ... को छोड़कर

— घोषणा — के लिए दावा 50,00,000/- रुपये

[illegible] वादनी निम्नलिखित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है। —

अ) प्रतिवादी के विरुद्ध उद्घोषणा की डिक्री पारित की जाकर घोषणा [illegible] [illegible] कि वादनी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21-12-13 को वादनी के पक्ष में [illegible] हिबा के आधार पर विवादित भूमि वर्णित [illegible] [illegible] स्वामिनी तथा अध्यासनी है।

[illegible] [illegible] व्यय वादनी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

[illegible] अन्य अनुतोष जो उचित हो वादनी को प्रतिवादी के विरुद्ध प्रदान [illegible] जावे।

[illegible] विवादित भूमि स्थित ग्राम मनोहरपुर तहसील तथा जिला मुरादाबाद

[illegible] (आर०सी०) 04 एन०सी०जे०-1-7-11-[illegible],000 प्रपत्र (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

(Cont---4)

Scanned with CamScanner

वादी के लिए श्री दिनेश-चन्द्र सोती एडवोकेट। अभिवक्ता की

और प्रतिवादी के लिए श्री दीपक बजाज एडवोकेट अभियक्ता

की उपस्थिति में एवं वाद के वाद अमित कुमार पाण्डेय सिविल जज (सी० डि०) मुरादाबाद

के समक्ष अंतिम किनारे के लिए पेश होने पर यह आदिष्ट और वादआज्ञ किया जाता है कि :--

आदेश दिनांकित 13-04-2016

मूल वाद संख्या - 34/2016 सुलहनामा कागज संख्या-18क/1 लगायत 18क/2 के प्रकाश में निर्णीत एवं आज्ञप्ति किया जाता है।

सुलहनामा कागज संख्या-18क/1 लगायत 18क/2 आज्ञप्ति का अंश रहेगा।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उभय पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

और इस वाद के खर्चे मद रुपये की राशि आज की तारीख से

ज्ञापन की तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित

द्वारा को दी जाये।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक 19 मास 04 सन् 2016

में दी गई।

न्यायाधीश

D. JUDGE

DJ Moradabad

19-4-16

Scanned with CamScanner

30७

वाद के खर्चे

वादी	रु0	पै0	प्रतिवादी	रु0	पै0
1-वाद-पत्र के रिए मुद्रांक	200	—	1-शक्ति-पत्र के लिए मुद्रांक	2	—
2-शक्ति-पत्र के लिए मुद्रांक	2	—	2-याचिका के लिए मुद्रांक	5	—
3-प्रदर्शितो के लिए मुद्रांक	5	—	3-अभिवक्ता की फीस	20	—
4-अभिवक्ता की फीस रु0 मुद्दे	4	—	4-साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
5-साक्षियो के लिए निर्वाह-व्यय	20	—	5-प्रदर्शिता की तामील		
6-कमीशन निष्पादक की फीस			6-कमीशन निष्पादक की फीस		
7-आदेशिका की तामील					
	231	00	योग-------	27	00

मुन्सरिम के हस्ताक्षर

लिपिक सिविल जज 19/4/16

(सी० डि०) मुरादाबाद

वादी के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग 05-11-16

जनपद न्यायालय मुरादाबाद

केन्द्रीय प्रतिलिपि जनपद न्यायालय

Photostate Copy-D.S.

Scanned with CamScanner

नों खसरा नं० 61 तथा 62 जिनका नया नम्बर 74 है, खसरा नं० 58, 59, 60, 64, 65 जिनका नया नम्बर 72 है, खसरा नं० 57 जिसका नया नम्बर 71 है, कुल रकबई 3-58 ए० तथा 1/2 भाग खसरा नं० 73 रकबई -64 ए०।

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग

दो रुपये TWO RUPEES

18वाँ

न्यायालय श्रीमान सिविल जज[सीनियर डिवीजन] मुरादाबाद।

मूलवाद संख्या- 34 सन 2016

श्रीमति खदीजा हसन बनाम वसीम अहमद खाँ

श्रीमान जी,

सादर निवेदन है कि पक्षकारो के मध्य कुछ मोअज्जिज अशखास के माध्यम से समझौता हो गया है। प्रस्तुत वाद वादनी द्वारा प्रतिवादी की मसरूफियत के कारण किसी गलतफहमी से योजित कर दिया गया था। पक्षो के मध्य हुए समझौते अनुसार प्रतिवादी/उत्तरदाता निम्न तथ्य स्वीकार करता है:-

1:- यह कि प्रतिवादी यह स्वीकार करता है कि उसने दिनांक 21.12.2013 को विवादित सम्पत्ति वादनी को मौखिक रूप से हिबा की थी, जिसे वादनी ने कबूल व मन्जूर कर लिया था, और उसी समय प्रतिवादी ने विवादित सम्पत्ति का वास्तविक आधिपत्य भी वादनी को दे दिया था।

2:- यह कि प्रतिवादी यह भी स्वीकार करता है कि उसने उक्त मौखिक हिबा के सम्बन्ध में एक तहरीर याददाश्त दिनांक 31.12.2013 को वादनी के पक्ष में निष्पादित की थी।

3:- यह कि प्रतिवादी यह भी स्वीकार करता है कि विवादित सम्पत्ति की स्वामिनी वादनी है और विवादित सम्पत्ति पर वादनी का ही स्वामिनी रूप में वास्तविक आधिपत्य है, तथा हिबा दिनांक 21.12.2013 के पश्चात से प्रतिवादी या उसके किसी वारिसान या कायम मुकामान का कोई सम्बन्ध शरन व कानूनन वादग्रस्त सम्पत्ति से नहीं रहा है।

4:- यह कि प्रतिवादी को प्रस्तुत वाद वादनी के पक्ष में डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

Khadija Hasan

....आर

Scanned with CamScanner

5:- यह कि प्रस्तुत वाद का व्यय उभय पक्ष अपना अपना स्वंय वहन करेगें ।

अत: सादर प्रार्थना है कि प्रस्तुत वाद इस सन्धि पत्र के प्रकाश में डिक्री किया जावे तथा इस सन्धिपत्र को डिक्री का भाग बनाया जावे ।

दिनांक:- 21.3.16

प्रार्थीगण

Khadija Hasan

श्रीमती खदीजा हसन

---वादनी

21.3.16

द्वारा

श्री दिनेशचन्द्र सोती
एडवोकेट

तथा

श्री वसीम अहमद खॉ

---प्रतिवादी

द्वारा

श्री दीपक बजाज, Adv
एडवोकेट

केन्द्रीय प्रतिलिपि ... जनपद न्यायालय ... सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत सन्धिपत्र । आज दिनांक 8.4.2016 को
वादिनी श्रीमती खदीजा हसन ने अपने अधिवक्ता श्री दिनेश
चन्द्र सेठी द्वारा पहचान किये जाने पर तथा प्रतिवादी
श्री वसीम अहमद खां ने अपने अधिवक्ता श्री दीपक बजाज
द्वारा पहचान किये जाने पर न्यायालय
में प्रस्तुत किया गया तथा सत्यापित किया गया ।

A.J. 08/4/16
सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)
जिला मुरादाबाद

Khadija Hasan

Khadija Hasan

Identified
Sri Waseem Ahmad Khan

Deepak Bajaj
Advocate
Ch.No.-161, District Courts
Moradabad
Regn. No. UP1940/42
D.J. Regn D-83
Resi-54, Kothiwal Nagar
Moradabad-244001

जनपद न्यायालय

Identified
Sethi
Adv.
21.3.16
(D.C. Sethi Advocate)

Scanned with CamScanner